

कार्यालय नियंत्रक (कलेक्टर) नागरिक सुरक्षा नागौर

क्रमांक:- नासू/2021/2) 6

दिनांक:- 07/07/2021

कार्यालय आदेश

आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ 8(1)आ.प्र. एवं सहा/बाढ/2021/6923-27 दिनांक 03.06.2021, निदेशालय नागरिक सुरक्षा राजस्थान जयपुर के पत्रांक प.2(50) नि.ना.सु./प्रशि./मानसून/2018/4510-77 दिनांक 07.06.2021 एवं नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 8(2) में प्रदत्त शक्तियों के तहत जिला ईमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पर प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की 12 सदस्यीय बाढ बचाव टीम की निम्नानुसार तीन पारियों (प्रति पारी 04 स्वयंसेवकों) की दिनांक 15.07.2021 से 14.08.2021 तक बाढ नियंत्रण कक्ष, कलेक्ट्रेट नागौर में तैनाती की जाती है।

क्र.सं.	स्वयंसेवक का नाम	ना.सु. सदस्य संख्या	मोबाईल नं०
प्रथम पारी 06:00 से 14:00 बजे तक			
1	श्री अनिल विश्णोई पुत्र श्री जोराराम	14	7891061164
2	श्री इन्द्रचंद पुत्र श्री मनीराम	13	7891198262
3	श्री प्रकाश चन्द पुत्र श्री अमरलाल	26	9828791602
4	श्री नेमनाथ पुत्र श्री गोपालनाथ	40	9001682803
द्वितीय पारी 14:00 बजे से 22:00 बजे तक			
1	श्री किशोर भार्गव पुत्र श्री दुलीचन्द	46	9649141142
2	श्री सुनील सियाग पुत्र श्री भोलाराम	170	8949422219
3	श्री प्रदीप वैष्णव पुत्र श्री शिवराज	131	7014837273
4	श्री राकेश सोलंकी पुत्र श्री बलदेवराम	74	9928697398
तृतीय पारी 22:00 से 06:00 बजे तक			
1	श्री भवानीसिंह पुत्र श्री नैनुसिंह	89	9660489008
2	श्री सुखराम पुत्र श्री कानाराम	69	9636850067
3	श्री कमल भार्गव पुत्र श्री रामरख	32	8890202221
4	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री शिवदान	58	9667074100

निदेशालय नागरिक सुरक्षा राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(38)नि.ना.सु./प्रशि./2016/2898-2914 दिनांक 03.05.2017 के तहत जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए ड्यूटी पर तैनात होने वाले स्वयंसेवक निर्धारित गणवेश, ड्यूटी समय की पाबन्दी, पूर्ण अनुशासन इत्यादि की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। ड्यूटी के दौरान अनुशासहीनता/लापरवाही/अनुपस्थित पाये जाने की स्थिति में तत्काल ड्यूटी से हटा कर उनके स्थान पर अन्य स्वयंसेवक की तैनाती कर दी जावेगी। जो स्वयंसेवक ड्यूटी समय के अतिरिक्त निःस्वार्थ भाव से 24 घण्टे में ड्यूटी कॉल करते ही सेवा देने में सक्षम हों तथा आवश्यक दक्षता वाले स्वयंसेवकों को प्राथमिकता के साथ तैनाती की जावेगी। उपरोक्त स्वयंसेवकों की प्रमाणित उपस्थिति के आधार पर ही मानदेय देय होगा।

नियंत्रक (जिला कलेक्टर)
नागौर

दिनांक:- 07/07/2021

क्रमांक:- सम/2021/217-222

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, शासन सचिव आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सहायक, नियंत्रक (जिला कलेक्टर) नागरिक सुरक्षा नागौर
3. उपनिदेशक, नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
4. समस्त उपखण्ड अधिकारी, जिला नागौर
5. समस्त तहसीलदार, जिला नागौर
6. प्रभारी जिला ई.ओ.सी. नागौर

सहायक नियंत्रक
नागरिक सुरक्षा नागौर

कार्यालय नियंत्रक (कलक्टर) नागरिक सुरक्षा नागौर

क्रमांक:- नासू/2021/ 173

दिनांक:- 16/6/2021

कार्यालय आदेश

आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ 8(1)आ.प्र. एवं सहा/बाढ/2021/6923-27 दिनांक 03.06.2021, निदेशालय नागरिक सुरक्षा राजस्थान जयपुर के पत्रांक प.2(50) नि.ना.सु./प्रशि./मानसून/2018/4510-77 दिनांक 07.06.2021 एवं नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 8(2) में प्रदत्त शक्तियों के तहत जिला ईमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पर प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की 12 सदस्यीय जिला आपदा त्वरित कार्यवाही बल (डीक्यूआरटी) की निम्नानुसार तीन पारियों (प्रति पारी 04 स्वयंसेवकों) की दिनांक 15.06.2021 से 14.07.2021 तक बाढ नियंत्रण कक्ष, कलेक्ट्रेट नागौर में तैनाती की जाती है।

क्र.सं.	स्वयंसेवक का नाम	ना.सु. सदस्य संख्या	मोबाईल नं०
प्रथम पारी 06:00 से 14:00 बजे तक			
1	श्री शैतानराम पुत्र श्री मंगलाराम	139	9587033037
2	श्री सुखपाल पुत्र श्री देवकरण	138	8949314512
3	श्री महिपाल पुत्र श्री बलदेवराम	103	8619450324
4	श्री हरीश पुत्र श्री बक्षीराम	156	9549978500
द्वितीय पारी 14:00 बजे से 22:00 बजे तक			
1	श्री भरत भाम्भू पुत्र श्री हीराराम	43	7733987421
2	श्री श्यामाराम पुत्र श्री भूराराम	166	6376327784
3	श्री कैलाश पुत्र श्री दीपाराम	127	8432957099
4	श्री बलवीर गौरा पुत्र श्री जेनाराम	03	8114429958
तृतीय पारी 22:00 से 06:00 बजे तक			
1	श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह डिडेल	66	9829830261
2	श्री सुखराम पुत्र श्री कानाराम	69	9636850067
3	श्री पवन पुत्र श्री मोहनराम	42	9950146503
4	श्री आशाराम पुत्र श्री जयराम	18	9983040260

निदेशालय नागरिक सुरक्षा राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(38)नि.ना.सु./प्रशि./2016/2898-2914 दिनांक 03.05.2017 के तहत जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए ड्यूटी पर तैनात होने वाले स्वयंसेवक निर्धारित गणवेश, ड्यूटी समय की पाबन्दी, पूर्ण अनुशासन इत्यादि की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। ड्यूटी के दौरान अनुशासहीनता/लापरवाही/अनुपस्थित पाये जाने की स्थिति में तत्काल ड्यूटी से हटा कर उनके स्थान पर अन्य स्वयंसेवक की तैनाती कर दी जावेगी। जो स्वयंसेवक ड्यूटी समय के अतिरिक्त निःस्वार्थ भाव से 24 घण्टे में ड्यूटी कॉल करते ही सेवा देने में सक्षम हों तथा आवश्यक दक्षता वाले स्वयंसेवकों को प्राथमिकता के साथ तैनाती की जावेगी। उपरोक्त स्वयंसेवकों की प्रमाणित उपस्थिति के आधार पर ही मानदेय देय होगा।

नियंत्रक (जिला कलक्टर)
नागौर

दिनांक:- 16/6/2021

क्रमांक:- सम/2021/ 174-79
प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, शासन सचिव आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सहायक, नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा नागौर
3. उपनिदेशक, नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
4. समस्त उपखण्ड अधिकारी, जिला नागौर
5. समस्त तहसीलदार, जिला नागौर
6. प्रभारी जिला ई.ओ.सी. नागौर

सहायक नियंत्रक
नागरिक सुरक्षा नागौर

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) नागौर

क्रमांक: सहायता/2021/2651

दिनांक : 01/10/2021

आदेश

आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा के पत्रांक 13259-65 के द्वारा बाढ नियंत्रण कक्ष की अवधि को 08.10.2021 तक बढ़ाया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक 2494 दिनांक 13.09.2021 के द्वारा बाढ नियंत्रण कक्ष में 12 स्वयंसेवकों का नियोजन किया गया था। उक्त आदेश में नियोजित किये गये 12 स्वयंसेवकों का नियोजन 08.10.2021 तक बढ़ाया जाता है।

(मोहनलाल खटनावलिया)
अति. जिला कलक्टर
(सहायता) नागौर

क्रमांक: सम/2021/2652-57

दिनांक : 01/10/2021

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु—

1. संयुक्त शासन सचिव आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सहायक, नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा नागौर
3. उपनिदेशक, नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
4. समस्त उपखण्ड अधिकारी, जिला नागौर
5. समस्त तहसीलदार, जिला नागौर
6. प्रभारी जिला ई.ओ.सी. नागौर

(मोहनलाल खटनावलिया)
अति. जिला कलक्टर
(सहायता) नागौर

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) नागौर

क्रमांक:- आ.प्र.एवं ना.सु./2021/ 2494

दिनांक:- 13/9/2021

कार्यालय आदेश

आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ8(1)आ.प्र. एवं सहा/बाढ /2021/6923-27 दिनांक 03.06.2021 एवं नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 8(2) में प्रदत्त शक्तियों के तहत जिला ईमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पर प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की 12 सदस्यीय जिला आपदा त्वरित कार्यवाही बल (DQRT) की निम्नानुसार तीन पारियों (प्रति पारी 04 स्वयंसेवकों) दिनांक 15.09.2021 से 30.09.2021 तक बाढ नियंत्रण कक्ष, कलेक्ट्रेट, नागौर में तैनाती की जाती है:-

क्र.सं.	स्वयंसेवक का नाम	ना.सु. सदस्य संख्या	मोबाईल नं०
प्रथम पारी 06:00 से 14:00 बजे तक			
1	श्री नवल किशोर पुत्र श्री बुधाराम	4	9672861446
2	श्री महिपाल पुत्र श्री वलेदवराम	103	8619450324
3	श्री महावीर पुत्र श्री भूणाराम	104	9549267249
4	श्री अनिल विश्णोई पुत्र श्री जोराराम	14	7891061164
द्वितीय पारी 14:00 बजे से 22:00 बजे तक			
1	श्री पवन पुत्र श्री मोहनराम	42	9950146503
2	श्री राजेश भार्गव पुत्र श्री अमरलाल	28	8385839430
3	श्री सुनील पुत्र श्री भोलाराम	170	8949422219
4	श्री सुनील तेजस्वी पुत्र श्री गौतमचंद	76	8114435352
तृतीय पारी 22:00 से 06:00 बजे तक			
1	श्री भवानीसिंह पुत्र श्री नेनूसिंह	89	8660489008
2	श्री सुखराम पुत्र श्री कानाराम	69	9636850067
3	श्री जयप्रकाश पुत्र श्री किताराम	117	9602802598
4	श्री किशोर राईका पुत्र श्री श्रवणराम राईका	105	7742417171

निदेशालय नागरिक सुरक्षा राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(38)नि.ना.सु./प्रशि./2016/2898-2914 दिनांक 03.05.2017 के तहत जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए ड्यूटी पर तैनात होने वाले स्वयंसेवक निर्धारित गणवेश, ड्यूटी समय की पाबन्दी, पूर्ण अनुशासन इत्यादि की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। ड्यूटी के दौरान अनुशासहीनता/लापरवाही/अनुपस्थित पाये जाने की स्थिति में तत्काल ड्यूटी से हटा कर आरक्षित सूची में से अन्य स्वयंसेवक की तैनाती कर दी जावेगी। जो स्वयंसेवक ड्यूटी समय के अतिरिक्त निःस्वार्थ भाव से 24 घण्टे में ड्यूटी कॉल करते ही सेवा देने में सक्षम हों तथा आवश्यक दक्षता वाले स्वयंसेवकों को प्राथमिकता के साथ तैनाती की जावेगी। उपरोक्त स्वयंसेवकों की प्रमाणित उपस्थिति के आधार पर ही मानदेय देय होगा।



(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर (सहायता)
नागौर

Email ID- relief.nag@rajasthan.in

साबुन से बार-बार हाथ धोते रहें।

मास्क से मुंह एवं नाक को पूर्णतया ढके।

दो गज की दूरी बनाये।

कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) नागौर

क्रमांक:- आ.प्र.एवं ना.सू./2021/2156

दिनांक:- 5/8/2021

कार्यालय आदेश

आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रशासनिक स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ8(1)आ.प्र. एवं सहा/बाढ/2021/6923-27 दिनांक 03.06.2021 एवं नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 की धारा 8(2) में प्रदत्त शक्तियों के तहत जिला ईमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर पर प्रशिक्षित नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों की 12 सदस्यीय जिला आपदा त्वरित कार्यवाही बल (DQRT) की निम्नानुसार तीन पारियों (प्रति पारी 04 स्वयंसेवकों) दिनांक 15.08.2021 से 14.09.2021 तक बाढ नियंत्रण कक्ष, कलेक्ट्रेट, नागौर में तैनाती की जाती है:-

क्र.सं.	स्वयंसेवक का नाम	ना.सू. सदस्य संख्या	मोबाईल नं०
प्रथम पारी 06:00 से 14:00 बजे तक			
1	श्री सुरेश पुत्र श्री बाबुलाल	87	9549267249
2	श्री सत्यप्रकाश पुत्र श्री मोहनराम	97	8824401773
3	श्री दिनेश पुत्र श्री छोटमल	94	9828832007
4	श्री शैतानराम पुत्र श्री मंगलाराम	139	8597033037
द्वितीय पारी 14:00 बजे से 22:00 बजे तक			
1	श्री महादेव पुत्र श्री कंवराराम	164	7742701702
2	श्री भंवरलाल पुत्र श्री मनीराम	169	7568286011
3	श्री भवानी शंकर पुत्र श्री सन्तोष	140	9799288962
4	श्री महावीर पुत्र श्री भुणाराम	104	9549267249
तृतीय पारी 22:00 से 06:00 बजे तक			
1	श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री चुतराराम	84	9799881742
2	श्री अखाराम पुत्र श्री पाबूराम	85	8432479972
3	श्री दीपेन्द्रसिंह पुत्र श्री श्रवणसिंह	91	6350092281
4	श्री सुखपाल पुत्र श्री देवकरण	138	8949314512

निदेशालय नागरिक सुरक्षा राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.2(38)नि.ना.सू./प्रशि./2016/2898-2914 दिनांक 03.05.2017 के तहत जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए ड्यूटी पर तैनात होने वाले स्वयंसेवक निर्धारित गणवेश, ड्यूटी समय की पाबन्दी, पूर्ण अनुशासन इत्यादि की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। ड्यूटी के दौरान अनुशासहीनता/लापरवाही/अनुपस्थित पाये जाने की स्थिति में तत्काल ड्यूटी से हटा कर आरक्षित सूची में से अन्य स्वयंसेवक की तैनाती कर दी जावेगी। जो स्वयंसेवक ड्यूटी समय के अतिरिक्त निःस्वार्थ भाव से 24 घण्टे में ड्यूटी कॉल करते ही सेवा देने में सक्षम हों तथा आवश्यक दक्षता वाले स्वयंसेवकों को प्राथमिकता के साथ तैनाती की जावेगी। उपरोक्त स्वयंसेवकों की प्रमाणित उपस्थिति के आधार पर ही मानदेय देय होगा।

जिला कलक्टर (सहायता)

नागौर

दिनांक:- 5/8/2021

क्रमांक: सम/2021/2157-63

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, शासन सचिव आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सहायक, नियंत्रक (जिला कलक्टर) नागरिक सुरक्षा नागौर
3. उपनिदेशक, नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
4. समस्त उपखण्ड अधिकारी, जिला नागौर
5. समस्त तहसीलदार, जिला नागौर
6. प्रभारी जिला ई.ओ.सी. नागौर
7. नोटिस बोर्ड

अति० जिला कलक्टर
(सहायता) नागौर

Email ID- relief.nag@rajasthan.in

साबुन से बार-बार हाथ धोते रहें।

मास्क से मुंह एवं नाक को पूर्णतया ढके।

दो गज की दूरी बनाये।

Scanned By Scanner Go